jktLFkku LVsV ekbUl ,.M feujYl fy0

(jktLFkku ljdkj dk midze)

8 वेस्ट पटेल नगर, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

bZ&fufonk l[;k : आर.एस.एम.एम. / एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस. / जीजीएम–एलएस / संविदा–02 / 2018–19

दिनांक : 22.05.2018

lkuq ykbeLVksu ij o{kkjksi.k
bUÊ;kfn dk;kZ gsrq vdq'ky Jfed yxkuk
bZ&fufonk i=

निविदा प्रपत्र का मूल्य	.....	रू.1180 / – (वस्तु एवं सेवा कर सहित)
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अवधि	.....	दिनांक 22 / 05 / 2018 से दिनांक 12 / 06 / 2018 अपरान्ह 1.00 बजे तक
ऑनलाइन निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि–समय	.....	दिनांक 12 / 06 / 2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक
ई–निविदा खुलने की तिथी–समय	.....	दिनांक 13 / 06 / 2018 अपरान्ह 3.30 बजे तक

egkizcU/kd ¼ykbe LVksu½

जोधपुर कार्यालय की ओर से जारी

jk t LFkku LVsV ekbUl ,.M feujYl fy-

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8] oLV iVsy uxj] lfdV gkml jkM] tk/kij

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

ई–निविदा संख्या : आर.एस.एम.एम / एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–एल.एस. / जी.जी.एम..–एल.एस. / सविंदा–02 / 2018–19 दिनांकः 22.05.2018

b&fufonk lpuk

ऑनलाइन निविदा इलेक्ट्रिानिक फार्मेट में https://eproc.rajasthan.gov.in, के माध्यम से आमेंत्रित की जाती है। कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

dk;l dk fooj.k	fufonk izi= fodz; o izLrr djus dh frfFk	/kjkgj jkf'k ,o fufonk izi= eY;	dk;l vof/k ,o vuekfur ykxr
सानु लाईमस्टोन पर वृक्षारोपण एवं अन्य विभिन्न कार्यो हेतु पर्याप्त संख्या में अकुशल श्रमिक लगाकर संबंधित कार्य करवाना।	ई–निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अवधि दि. 22..05.2018 से 12.06.2018 दोपहर 01.00 बजें तक। ऑनलाइन निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि–समय दिनांक 12 / 06 / 2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक।	धरोहर राशि – रूपये 40, 000 / – (डिमाण्ड ड्राफ्ट) निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 1180 / – वस्तु एवं सेवा कर सहित (अप्रतिदेय) (डिमाण्ड ड्राफ्ट) (डिमाण्ड डाफ्ट, आर0 एस0 एम0 एम0 लि0, जोधपुर के नाम देय हो)	कार्य अवधि 2 वर्ष अनुमानित लागत ¼#0½ 20.00 लाख
ई–निविदा प्रकिया भुल्क	रूपये 500 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय हो।		
ई–निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 13.06.2018 अपरान्ह 3.30 बजें		
सम्पर्क अधिकारी–वरि. प्रबन्धक (अनुबन्ध)	दूरभाष–(0291) 2511031, E-Mail: contlsu.rsmml@rajasthan.gov.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें website- www.rsmm.com, www.sppp.rajasthan.gov.in, व www.eproc.rajasthan.gov.in, पर देखी जा सकती है।निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।			

fufonk iLrr djus grq ik=rk

þfoxr rhu o"kk ¼dze 'k% 2014&2015] 2015&16] ,o 2016&17½ eas ls fdlh Hkh ,d o"kZ esa Lo;a dh vFkok lkÖnkj Qesa dh Vuj vkoj de ls de :i;s ikp yk[k gkuk pkfg;sAß

fufonk vkuykbu Hkjh tkoxhA टेंडर फीस व प्रोसेसींग फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दी जायेगी।ई–निविदा प्रस्ताव के आव यक मापदण्ड बयाना राि I, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा प्रक्रिया भुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जोधपुर स्थित कार्यालय में निविदा अपलोड करने की नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व भौतिक रूप से सीलबन्द लिफाफे में जमा कराने होंगे इसके बिना ऑनलाइन भरी गई निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकर्ता से अनुरोध है कि वह https://eproc.rajasthan.gov.in, वेबसाईट पर दी गई जानकारियों को पढ़ें तथा उनको समझ कर ऑनलाईन निविदा उसी के अनुसार भरें। इच्छुक व्यक्ति / कम्पनी / संस्था को निविदायें अहस्तान्तरणीय मूल्य / दर भाग में प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त निविदाओं को उपरोक्तानुसार तिथि को अपरान्ह 3.30 बजे संस्थान के कार्यालय, जोधपुर में खोली जायेगी। प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये निविदाओं को आंि াক या पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है। फैक्स द्वारा भिजवाई गई निविदायें मान्य नहीं होगी ।

जिन निविदाकर्ताओं को कंपनी द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित कर दिया गया हो वो प्रतिबंध और निलंबन अवधि के दौरान निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नही होंगे ।

egkicU/kd ¼ykbe LVku½
एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–लाईम स्टोन

fufonk i=

1-00 ifjHkk"kk

इस निविदा में दिये गये निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है :

1.1 ''आरएसएमएमएल'' या कंपनी का अर्थ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से है जिसका पजीकृत कार्यालय सी–89–90, लाल कोठी स्कीम, जयपुर–302015, राजस्थान है और कारपोरेट कार्यालय 4– मीरॉ मार्ग, उदयपुर – राजस्थान है।

1.2. अनुबंधकर्ता : अनुबंध के अर्न्तगत व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म अथवा कंपनी जिसका निविदा आरएसएमएमएल ने स्वीकृत कर लिया है और अनुबंधकर्ता की परिभाषा में अनुबंधकर्ता के वैधानिक प्रतिनिधि, प्रशासक, उत्तराधिकारी और एक्जीक्यूटर को भी सम्मिलित किया गया है ।

1.3 वैधानिक दायित्व : खान/कार्य क्षैत्र से संबंधित मौजुदा कानूनों के अर्न्तगत आने वाले वैधानिक दायित्वों से है ।

1.4 स्वीकृति का अर्थ है कम्पनी/इन्जिनियर इन्चार्ज/ऑफिसर इन्चार्ज द्वारा लिखित में अनुमोदन करने से है ।

1.5 प्राधिकरण अधिकारी : प्राधिकरण अधिकारी से तात्पर्य कंपनी के प्रबंध निदे ाक से है।

1.6 प्रबंध निदे ाक : प्रबंध निदे ाक का अर्थ है आरएसएमएमएल के प्रबंध निदे ाक से है ।

1.7 अनुंबंध : अनुबंध का अर्थ है कार्य को निष्पादित करने हेतु कंपनी और अनुबंधकर्ता के मध्य हुए एग्रीमेन्ट से है । इसमें सारे दस्तावेज जैसे अनुबंधकर्ता को आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण पत्र, अनुबंधकर्ता को दिये गये निर्दे ा, अनुबंध की सामान्य स्थिति, अनुबंध की वि ोष स्थिति, कार्यक्षेत्र, सामान्य आवश्यकताऐं, कार्यावधि, कार्यादे ा जारी करने हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट, ईमेल/ फैक्स आदि को भी सम्मिलित किया गया है ।

1.8 अनुबन्ध दर व अनुसूची दर व निविदा दर व पारिश्रमिक की दर : का अर्थ निविदादाता द्वारा निविदा मे वर्णित शब्दों और अंकों में भरी गई दर से है और जिसे कंपनी ने अनुबंध और अनुबन्ध में आने वाले सभी दायित्वों का अनुबन्धकर्ता के द्वारा निष्पादन हेतु स्वीकृत किया है ।

1.9 आफिसर इन्चार्ज का अर्थ : कंपनी का नामित अधिकारी जो इस कार्य का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देशन और समय–समय पर, इस कार्य हेतु प्रशासन करेगा, से है।

1.10 समूह महाप्रबन्धक (संविदा) : का अर्थ है आरएसएमएमएल संविदा विभाग के समूह महाप्रबंधक संविदा से या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में समूह महा प्रबंधक – संविदा का उतराधिकारी हो को शामिल किया गया है ।

1.11 समूह महा प्रबंधक (एल.एस.) : का अर्थ है समूह महा प्रबंधक जोधपुर लाईमस्टोन, आरएसएमएमएएल या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में समूह महाप्रबंधक (एल.एस.) का उतराधिकारी हो को शामिल किया गया है ।

1.12 एजेन्ट : आरएसएमएमएल, सानू लाईमस्टोन माइंस में खान अधिनियम के तहत नामित अधिकारी ।

1.13 खान प्रबन्धक : आरएसएमएमएल, सानू लाईमस्टोन माइंस में खान अधिनियम के तहत नामित माईनिंग अभियन्ता।

1.14 LOA /DLOA : से तात्पर्य निविदादाता को लेटर/ईमैल/ फेक्स द्वारा सूचना देने से है, कि निविदादाता की निविदा कंपनी द्वारा स्वीकृत कर ली गई है । यह स्वीकृति लेटर ईमेल/फैक्स में दिये गये प्रावधान अनुसार है ।

1.15 लिखित सूचना : पंजीकृत डाक द्वारा निविदादाता के अन्तिम ज्ञात व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पते पर रजिस्टर्ड़/हेड/लोकल ऑफिस के पते पर भेजने से है ।

1.16 कार्यक्षेत्र /साईट का अर्थ भूमि या अन्य स्थान से हैं, जहॉ निविदादाता को कंपनी द्वारा दिया गया कार्य, कार्यादेश अनुसार करने से है ।

1.17 टेण्डर : NIT की एवज में निविदादाता द्वारा दी गई निविदा, बाद में किये गये विचार विम र्ा, वार्तालाप, जो कंपनी और निविदादाता के बीच में हुआ है को सम्मिलित किया जायेगा ।

1- *dk;{k= ,o dk;l dk fooj.k%*

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की सानु लाईमस्टोन माईन्स, जैसलमेर–रामगढ़ रोड़ पर जैसलमेर से लगभग 53 किमी. दूरी पर स्थित है।

dk;l% खान पर प्रतिदिन न्यूनतम 7 अकुशल श्रमिक लगाना। श्रमिकें द्वारा निम्न लिखित कार्य सम्पन्न कराना होगा । अनुबंधकर्ता को कम्पनी की आव यकतानुसार उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु अतिरिक्त श्रमिक भी उपलब्ध करवाना होगा जिसका भुगतान स्वीकृत की गई कार्य दर से किया जायेगा।

o{kkj®i.k l l EcfU/kRk dk;% खान क्षेत्र में समय–समय पर कम्पनी की आव यकतानुसार पौधारोपण कार्य, नये तथा पुराने पौधों को नियमितरुप से पानी पिलाना एवं उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य करना इत्यादि । पौधें, पानी, खाद–बीज इत्यादि कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

vU; fofo/k dk;l% ओवर हेड टैंक (सिन्टेक्स), अण्डरग्राउन्ड वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर कूलर, वाटर फिल्टर, नल पाईप चैक करना, नल पाईप लिंकेज मरम्मत कार्य, वाटर टैंक के नलो से पानी का संचालन व केन्टीन टैंक (सिन्टेक्स) व ओवर हेड वाटर टैंक (वे ब्रिज नं. 2 के पास) का मरम्मत एवं सफाई कार्य तथा खान में लगे सभी तुला यंत्रों के सफाई का कार्य प्रति/वार/माह व प्रशासन विभाग अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा बताये अनुसार सफाई कार्य इत्यादि करना ।

d-l[;k	*dk;l dk fooj.k*	*lQkbl vkorh*	*l[;k@ek=k*
1	ओवरहेड टैंक (सिन्टेक्स) क्षमता 20,000 ली. की सफाई	माह में एक बार	एक टैंक
2	अन्डरग्राउन्ड वाटर स्टोरेज टैंक की सफाई	माह में एक बार	एक टैक
3	केन्टीन टैंक (सिन्टेक्स) क्षमता 5,00 ली. की सफाई	माह में दो बार	दो टैक
4	ओवर हेड टैंक (वे–ब्रीज नं. 2 के पास) क्षमता 1,00,000 की सफाई	तीन माह में एक बार	एक टैक
5	वाटर कूलर	प्रति सप्ताह	तीन वाटर कूलर
6	वाटर फिल्टर	सप्ताह में तीन बार	तीन वाटर फिल्टर
7	तुला यंत्रों के प्लेट फार्म के उपर की सफाई	सप्ताह में एक बार	तीन तुला यंत्र
8	तुला यंत्रों के प्लेट फार्म के अन्दर की सफाई	तीन माह में एक बार	तीन तुला यंत्र
9	नल पाईप चैक, वाटर टैंक स्थित पंप का संचालन, पाईप लीकेज मरम्मत इत्यादि कार्य।	पूरे सप्ताह	–

2-0 *fufonk i=i= dk Hkjuk*

2.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑनलाइन ही प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

2.2 निविदाकर्ता इस विशय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2.3 इरूछुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई–निविदा पोर्टल पर पंजीकृत कराना आव यक होगा। तत्प चात् ही ई–निविदा को आनलाइन भरने के लिए पात्र होगा।

2.4 इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई–निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई टी एक्ट–2000 के प्रावधानों के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र होना आव यक है एवं ई–निविदा के सभी दस्तावेज आदि डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे। जिसके बगैर उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी।

2.5 डाउनलोड किये गये ई–निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का सं ोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थित में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा।

2.6 निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउनलोड किया जावेगा।

2.7 निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किये जाना आव यक है। तत्प चात् उपरोक्त समस्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र को डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाईट पर आनलाईन अपलोड करना है।

2.8 उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में ई–निविदा प्रपत्र भुल्क, ई–निविदा प्रक्रिया भुल्क तथा धरोहर राि ा की स्कैन कॉपी को भी अपने ई–निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है। उपरोक्त तीनों भुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्कैन कॉपी अपलोड न करने पर ई–निविदा मान्य नहीं होगी।

2.9 उपरोक्त तीनों भुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पत्रता के अनुसार तीनों वांछित मूल भापथ पत्र को समूह महाप्रबन्धक (लाईमस्टोन) जोधपुर कार्यालय मे, ऑनलाइन निविदा अपलोड करने की नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व, प्रस्तुत करना होगा। इन प्रपत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ–साफ अक्षरों में अंकित करेगा। निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

2.10 ई–निविदा प्रक्रिया भुल्क इस निविदा के लिये रूपये 500/– निर्धारित है जो कि एम0डी0, आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम देय होगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा निर्धारित धरोहर राि ा डी0 डी0 आर0एस0एम0एम0एल0, जोधपुर के पक्ष में देय होगी।

2.11 ई–निविदा पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in निविदा प्रस्ताव से संबंधित सभी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तकनीकी प्रस्ताव फार्म और मूल्य (दर) प्रस्ताव फार्म डाउनलोड करने के लिए निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध हो जाएगा। पंजीकृत बोलीदाता ई–टेंडर प्रणाली में लॉग इन करें और बोली फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

2.12 प्रत्येक निविदाकर्ता केवल एक ही निविदा प्रस्तुत करेगा, या तो व्यक्तिगत रूप से या एक साझेदारी फर्म या एक निजी रूप/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या एक सहकारी समिति।

2.13 निविदाकर्ता को अपने स्वयं के हित में निविदा दस्तावेज पूरी तरह से और ध्यान से पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है।

2.14 निविदाकर्ता द्वारा स्थान एवं परिसर आदि का निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आ वस्त कर लेना चाहिये तथा इस संबंध में यदि कोई जानकारी चाहिये तो वरि ठ प्रबन्धक (अनुबन्ध) से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/सं ोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस निविदा के तहत कार्य की दरों के संबंध में प्राप्त निविदा–दरों को ही अन्तिम माना जाऐगा एवं निविदा–दरों में किसी प्रकार का नेगोसियोशन मान्य नहीं होगा।

2.15 राजस्थान लोक उपापन में पारदर् िता अधिनियम, 2012 के सभी प्रावधान इस निविदा पर लागू होते हैं ।

2.16 कम्पनी देरी, हानि या पोस्ट/कूरियर सेवा के माध्यम से भेजा आव यक दस्तावेज न मिलने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

2.17 निविदा एकलभागं में भरनी होगी ।

2.18 ई–निविदा निर्धारित तिथि को 3.30 बजें अपरान्ह जोधपुर स्थित कार्यालय में खोला जाएगा।

2.19 निविदा दो भागों में भरनी होगी, जो कि निम्न प्रकार से हैः–

- प्रथम भाग – तकनीकी वाणिज्यिक (Techno commercial Part)
- द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part)

ई–निविदा का प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग निर्धारित तिथि को 3.30 बजें अपरान्ह जोधपुर स्थित कार्यालय में खोला जाएगा। कम्पनी को ऑनलाइन प्राप्त निविदाओं के तकनीकी वाणिज्यिक भाग का परीक्षण किया जाकर तथा इसमें न्यूनतम पात्रता वाले योग्य निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जायेगा । ऐसी सूचीबद्ध सफल निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा। योग्य निविदाकर्ताओं को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से पत्राचार या अन्य माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा ।

2-20 iFke rduhdh & okf.kfT;d Hkkx

इसमें निविदाकर्ताओं को निम्न दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने आव यक हैंः–

2-21 fufonkdrk d lc/k e %

2-21.1 निविदाकर्ता का नाम, पता, टेलिफोन नं0 इत्यादि की जानकारी प्रारूप परि ि ष्ट–1 में संलग्न करना आव यक है। पेनकार्ड, गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स व एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (एमएसएमईडी एक्ट 2006–यदि लागू हो तो) से संबंधित सत्यापित दस्तावेज की फोटो प्रति।

2-21.2 निविदाकर्ता को कम से कम रूपये पांच लाख का कारोबार तीन वर्षो (क्रम ाः 20114–2015, 2015–16, एवं 2016–17, में से किसी एक वर्ष में कारोबार किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आव यक है। इसके पक्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बेलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है ।

2-21.3 वांछित धरोहर रा ि का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

2-21.4 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय मोहर होने चाहिए।

2-21.5 अपूर्ण, अस्पष्ट, अपाठ्य तथा शर्तों के साथ भरी गई निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2-21.6 भविश्य निधि खाता संख्या की प्रति प्रारूप परि ाष्ट–1 के साथ संलग्न करें या अण्डरटेकींग दें एनेक्सर (Annexure-I) प्रथम के आधार पर ।

2-21.7 निविदाकर्ता द्वारा स्थान परिसर एवं कार्य आदि का विवरण निविदा भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आ वस्त कर लेना चाहिये कि उसने निविदा की सभी शर्तें, प्रतिबन्घ तथा अन्य समस्त बातें अच्छी तरह समझ ली है। तत्प चात् निविदाकर्ता का कोई भी अतिरिक्त भुगतान का दावा इस बहाने मान्य नहीं होगा कि निविदा का कोई विशेश बिन्दु उसे स्पष्ट नहीं था। निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/सं ोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2-21.8 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवम् राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न ऐनेक्सर्स संलग्न किए हैंः–

Annexure-A:	Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure-B:	Declaration by the Bidder regarding Qualifiations.
Annexure-C:	Grievance Redressal during Procurement process & form No. 1.
Annexure-D:	Additional Conditions of Contract.

ukV: **Annexure-B** में निविदाकर्ता द्वारा घो णा किया जाना आवश्यक है।

2.22 कम्पनी को यह सम्पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंि ाक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर दे अथवा समस्त निविदाओं को ही अस्वीकृत कर दें। साथ ही कम्पनी पर यह कोई बन्धन नहीं होगा कि वह न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार न करने का कोई कारण स्पष्ट करे।

2-23 कार्य की दरें (वस्तु एवं सेवा कर रहित) निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन भरनी हैं। निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध निविदा के प्रारूप परि ाष्ट– 3/BOQ फार्म में ही भरें। स्वीकृत की गई कार्य करने की दर संपूर्ण अनुबन्ध अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय रहेगी।

2-24 *f}rh; Hkkx&dk;l dh nj* (Rate /BOQ)

2-24.1 कार्य की दरें निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन भरनी हैं। निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध निविदा के प्रारूप परि ाष्ट– 3/ BOQ फार्म में ही भरें।

2-24.2 कार्य की दरें ऑनलाइन निविदा भरने के प्रोफॉमा परि ाष्ट– 3 के अनुसार है। निविदाकर्ता इस प्रारूप परि ाष्ट– 3/BOQ वेबसाईट से डाउनलोड कर अपने दर प्रस्ताव को भरने के पभचात् प्रस्तुत (अपलोड) करेगा। किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सैम्पल दर प्रस्ताव फार्मेट (जो कि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया हैं) में दर इंगित करना निशेध है, इस स्थिति निविदा निरस्त मानी जायेगी ।

2-24.3 निविदाकर्ता कार्य की दरें किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें, ऐसे प्रस्ताव मान्य नहीं हीगें तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी अन्य भाग में इंगित करता हैं तो इस अवस्था में निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

2.25 न्यूनतम निविदा दर का निर्धारणः– सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । न्यूनतम दर का निर्धारण निविदाकारों के न्यूनतम प्रस्ताव (L_1) को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा तथा जिस निविदाकार का दर प्रस्ताव प्रारुप परिशिष्ठ–3 में दैनिक आधार पर न्यूनतम होगा उसी को ही कम्पनी द्वारा इस निविदा का कार्य आदेश जारी किया जावेगा।

2-26 Ukxkf k;: ku %&

2-26.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L_1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोि ाये ान किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्प चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदे ा कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता हे।

2-26.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोि ाये ान के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होर्गा

2-26.3 नेगोि ाये ान के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति / अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें कि यह स्प ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को सं ोधित /बदलने के लिए प्राधिकृत है। इसमें निविदाकर्ता को किसी प्रकार का उज्र नहीं होगा।

2.27 निविदाकर्ता की ऑफर, निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक वैद्य मानी जायेगी, इस समय सीमा में निविदाकर्ता निविदा को न तो रद्द कर सकता न ही वापस ले सकता है तथा न ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ऐसा करने पर निविदाकर्ता की धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जावेगी।

2.28 */kjkgj jkf k ¼vuLV euh½ fufonkdrk* को निविदा के साथ 40, 000/– रूपये की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में, जो कि आर0 एस0 एम0 एम0 लि0, जोधपुर के नाम से देय हो जमा कराने होंगे, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। बिना धरोहर रा ा निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि, सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी होने के प चात लौटा दी जायेगी तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । सफल निविदाकर्तों की धरोहर राशि को अमानत राशि में समायोजित किया जा सकेगा ।

2.29 निम्नलिखित कारणों/दशाओं में धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा :

- अगर निविदादाता, निविदा को, निविदा की वैधता अवधि में सं ोधित या निरस्त करता है, तब ।
- अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा अमानत राशि जमा नहीं की जाती है ।
- अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारुप में एग्रीमेन्ट नहीं किया है तब अगर निविदादाता द्वारा निविदा में कोई गलत सूचना/ गलत दस्तावेज/गलत सत्यापन दस्तावेजों का किया है तो ।

- o अगर निविदादाता द्वारा निर्धारित समायावधि में कार्य शुरु नहीं किया जाता है या कंपनी द्वारा दिये गये ऑफर को स्वीकार नहीं किया है या स्वीकार करने के बाद निर्धारित समायावधि में कार्य शुरु नहीं किया है तो।

3-0 *dk;l ls lcf/kr fo k'k “krl ,o ifrcU/k %&*

3.1 जिस निविदाकर्त्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य संपादन करना होगा।

3.2 प्रत्येक कार्य दिवस पर अनुबन्धकर्ता का कोई अधिकृत प्रतिनिधि अथवा सुपरवाईजर खान पर उपलब्ध होना चाहिए जो कि प्रभारी अधिकारी से कार्य संबंधित निर्दे ा प्राप्त कर सके तथा सुचारू रूप से कार्य संपादित करवा सके। प्रत्येक कार्य दिवस पर न्यूनतम 7 अकुशल श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध रहने चाहिए एवं आवश्यकता होने पर अतिरिक्त श्रमिक भी उपलब्ध कराने होंगे।

3.3 कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का पूर्ण विवरण खान प्रबंधक कार्यालय में रखे बी रजिस्टर में, इन्द्राज करवाना होगा।

3.4 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगायेंगे।

3.5 कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व निविदाकर्त्ता का स्वयं का होगा तथा किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी की होगी तथा उसे स्वयं के खर्च पर ही उन्हें समस्त आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराने होगे।

3.6 वर्षा ऋतु/मानसून के दौरान आवश्यकतानुसार प्रतिदिन खान प्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार अतिरिक्त श्रमिक भी कार्य पर लगाने होंगे ।

3.7 निविदाकर्त्ता के लिये यह आव यक होगा कि वह कार्य पर लगाये गये प्रत्येक मजदूर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अकु ाल श्रमिकों हेतु देय न्युनतम मजदूरी का भुगतान अदा करें । ऐसा नहीं करने पर वास्तविक भुगतान व न्युनतम मजदूरी के भुगतान का अंतर कम्पनी द्वारा किया जा कर निविदाकर्त्ता के मासिक बिल से वसूल किया जा सकेगा ।

3.8 *dk;l dh vof/k*

उपरोक्त कार्य की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी। कम्पनी द्वारा स्वविवेक से कार्य अवधि को समान दर एवं भार्तों पर एक वर्ष के लिये RTPP एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बढाया जा सकता है। कम्पनी द्वारा बढी कार्य अवधि में कार्य की मूल लागत कीमत के 50 प्रति ात रा ि ा तक बढाया जा सकता है।

3.9 प्रत्येक कार्य दिवस पर लगाये गये श्रमिकों की संख्या एवं उनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सत्यापित कराना होगा तथा इसकी प्रतिलिपी मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

3-10 *dj ,o nj*

i. निविदादाता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा अन्य सभी प्रकार की टैक्स एवं ड्यूटी भाामिल करनी होगी जो कि निविदा की अंतिम तिथि तक लागू हो। प्रस्तुत दरें कार्य अवधि के दौरान स्थिर रहेगी एवं निविदा में वर्णित भार्तो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी।

ii. वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण म्मिेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी। इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनि चित करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा।

iii. यदि किसी कारणव ा RSMML को क्रडिट नहीं मिलता है तो कम्पनी कांट्रेक्टर को देय बिल/सिक्योरिटी डिपोजिट में से यह क्रडिट रा ि ा कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

iv. कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) कारण पैनेल्टी लगने की परिस्तिथी में देय रा ि ा का भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कम्पनी यह रा ि ा काट्रेक्टर को देय रा ि ा में से कटौती/समायोजित कर सकती हैं।

v. निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के डयूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोडकर भरनी होगी । इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है ।

vi. अगर निविदा भरने के बाद कर एवं डयूटी बढती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं डयूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं डयूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबन्धकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है ।

3.11 <u>dk;l dk Hkqxrku</u>

किये गये कार्य का भुगतान महिने में एक बार किया जायेगा। जिसके लिए बिल हर माह की समाप्ति पर 10 तारीख तक एक नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साधारणतः मासिक बिलों का भुगतान; वैधानिक कटौतियॉ करने के बाद, बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे अनुबंघकर्ता के बैंक खाते में ही किया जायेगा। वस्तु एवं सेवा कर का पुर्नभरण वस्तु एवं सेवा कर जमा करवाने के तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने के आधार पर ही किया जायेगा ।

3.12 कार्य स्थल पर नियुक्त सक्षम व्यक्ति के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

3.13 अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य की दर अपरिवर्तनीय रहेगी । परन्तु भारत सरकार द्वारा अकु ाल श्रमिक की दर में परिवर्तित होने पर निविदा में उल्लेखित दर के अनुसार दर परिवर्तनीय होगी । भरी गई दरें सभी प्रकार के खर्चे व सरकार द्वारा समय समय पर लगाये गये कर सहित (वस्तु एवं सेवा कर छोंडकर) होगी तथा इनमें किसी भी प्रकार की वृद्धि होने की द ाा में भरी गई दर अपरिवर्तनीय रहेगी।

3.14 <u>भारत सरकार द्वारा अकु ाल श्रमिक दरों में परिवर्तन होने पर</u>

अनुबंध की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा अकु ाल श्रमिक दर में कोई परिवर्तन किया जाता है अर्थात न्यूनतम अकु ाल श्रमिक की दरों में बढोतरी या कमी होती है तो आनुपातिक रूप से बढोतरी या कमी की जावेगी । निविदा जारी होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित अकु ाल श्रमिकों को देय दैनिक न्यूनतम मजदूरी की प्रचिलित दर रु. 310.00 है ।

3.15 कार्य की अवधि के दौरान निविदाकर्ता को निर्धारित दर के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जायेगा । निविदाकर्ता को कार्य के दौरान लगाए गए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिसे कंपनी के द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी के उपस्थिति में करना होगा।

3.16 निविदाकर्ता कार्यादे ा/एल0ओ0ए0 मिलने के 15 दिन के भीतर कार्यारम्भ कर मजदूर उपलब्ध नहीं करवाता हैं तो अनुबंध की कूल रा ि ा का 0.5 प्रति ात की दर से प्रत्येक 15 दिवस की आवृत्ति पर बतौर क्षतिपूर्ति वसूल की जायेगी। यह रा ि ा अनुबंध की कूल रा ि ा का 2 प्रति ात से अधिक हो जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है तथा धरोहर रा ि ा जब्त की जा सकती है।

3.17 प्रत्येक कार्य दिवस पर आवश्यकतानुसार न्यूनतम 7 अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि किसी दिन पर्याप्त मजदूरों के अभाव मे कार्य में रूकावट उतपन्न होती है तो जुर्माना स्वरूप आपके मासिक बिल में से रू. *1000*/– प्रति कार्य दिवस के हिसाब से कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी को यह भी अधिकार होगा कि आयश्यकतानुसार अकुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं कराने के कारण कार्य में रुकावट को रोकने के लिये अनुबंधकर्ता की जोखिम पर वास्तविक लागत पर श्रमिक लगा सकेगें और इस स्थिति में जो भी व्यय कंपनी द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था पर किया जायेगा उसकी पूर्ण कटौती अनुबंधकर्ता के मासिक बिल या सिक्युरिटी डिपोजिट में से किया जाएगा।

3.18 किसी भी निर्णय या स्पष्टीकरण के लिए निविदाकर्ता कार्य नहीं रोकेगा एवं प्रभारी अधिकारी/अधिकृत अधिकारी के निर्दे ानुसार कार्य करता रहेगा।

3.19 किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कंपनी के समूह महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

3.20 कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले औजारों जैसे की फावड़ा, गैंती, तगारी, बेलचा, कुल्हाडी इत्यादि के खरीद व भण्डारण की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को स्वयं करनी होगी।

4-0 *lQy fufonkdÙkkZvksa ds fy, lkekU; 'krsZa ,oa izfrcU/k*

4.1.0 *fl D;fjVh fMikftV ¼ vekur jkf'k ½*

4.1.1 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे अनुबन्ध राशि का 5 प्रतिशत भाग सिक्युरिटी डिपोजिट के रूप में जमा कराना होगा। सफल निविदाकर्ता हेतु निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि को सिक्युरिटी डिपोजिट में समायोजन कर दिया जायेगा। शेष राशि को कार्यादेश जारी होने के 15 दिन के भीतर नकद जमा करानी होगी।

4.1.2 सिक्युरिटी डिपोजिट पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

4.1.3 सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य न करने, या संतोषजनक रूप से कार्य न करने की परिस्थिति में कम्पनी को यह संपूर्ण अधिकार होगा कि वह सिक्युरिटी डिपोजिट का कुछ अंश या संपूर्ण राशि जब्त कर लें।

4.1.4 सफल निविदाकर्ता द्वारा संतोषजनक रूप से अनुबन्ध की अवधि में कार्य पूरा करने पर, अनुबन्ध के दौरान किसी भी प्रकार का शुल्क कर्मचारियों के वेतन भत्ते या अन्य भुगतान बाकी न होने एवं नो डयूज नो क्लेम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के बाद ही सिक्युरिटी डिपोजिट को अनुबन्ध समाप्ति के 3 माह बाद वापस लौटाया जा सकेगा।

4.2.0 *dj dVkSrh :*

सफल निविदाकर्ता के मासिक बिलों में से आयकर तथा अन्य वैद्यानिक कटौतियां नियमानुसार प्रचलित दर के अनुसार होगी। वस्तु एवं सेवा कर जमा करवाने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा वस्तु एवं सेवा कर का पुर्नभरण वस्तु एवं सेवा कर जमा कराने के तथ्यात्मक प्रमाण

प्रस्तुत करने के आधार पर ही किया जायेगा। निविदाकर्ता निविदा के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कराना आव यक हैं।

4.3.0 *dkuuh ,o o|kfud vko';drk,¡ %&*

सफल निविदाकर्ता को माइन्स एक्ट 1952 तथा इसके अन्तर्गत रूल्स एवं अन्य रेगूलेशन्स, वर्कमेन्स कम्पेंशेसन एक्ट 1923, एम्प्लोइज प्रोविडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952, पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 कोन्ट्रेक्ट लेबर (रेगूलेशन एण्ड एबोलिशन)एक्ट 1970, पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट 1936, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इण्डस्ट्रीयल डिस्पियुट एक्ट 1947, इण्डस्ट्रियल एम्पलोयमेंट (स्टेडिंग ओर्डर्स) एक्ट, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा इस अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त केन्द्रीय या राज्य अधिनियम, नियम एवं रेगूलेशन्स का पालन करना होगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी लेबर रेगूलेशन्स/संशोधन आदि का भी पालन करना होगा। उपरोक्त नियमों के पालन करने में असमर्थ रहने की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है ।

4.4.0 *Hkfo"; fuf/k %*

4.4.1 इस कार्य के संबंधित कर्मचारी के प्रति अनुबंधकर्ता स्वयं भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं समय–समय पर सं ोधित नियमों की पालना करने के लिए उतरदायी है, यदि नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम लागू है तो ।

4.4.2 भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार अनुबंधकर्ता को अपने आपको रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर (RPFC) के अर्न्तगत रजिस्टर्ड करवाना होगा अगर उसने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवा रखा है तो । निविदादाता को आरपीएफसी आफिस से प्राप्त भविष्य निधि रजिस्टे्शन नम्बर की प्रति कार्य प्रारंभ करने से पहले कंपनी को प्रस्तुत करनी होगी अगर वह नहीं देता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकता है ।

4.4.3 अगर निविदादाता पर ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम लागू नहीं होता है लेकिन कार्न्ट्रेक्ट लेबर (R&A) की एप्लीकेबिलिटी के कारण कर्मचारियों के वेतन में से काटे गये भविष्य निधि व नियोक्ता का अं ादान जमा कराना है, तो वह आरएसएमएमएल के पीएफ ट्रस्ट में 1.10% प्रति ात प्र ाासनिक चार्ज सहित जमा करा सकता है । इस हेतु उसे एक शपथ पत्र एनेक्सचर–प्रथम के फारमेट में उचित मूल्य के नोन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा। यह उसे तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

4.4.4 उसको हर मासिक बिल/अन्तिम बिल के साथ एक विवरण देना होगा जिसमें श्रमिक/कर्मचारी का नाम, अनुबंधकर्ता द्वारा उसको दिया गया पारिश्रमिक का विवरण, काटी गयी भविष्य निधि की रा ि ा एवं नियोक्ता द्वारा किये गये अं ादान का विवरण, रा ि ा जो आरपीएफसी आफिस/ट्स्ट में हर कर्मचारी/ श्रमिक के नाम पर जमा कराई गई है उसका विवरण देना होगा और चालान की कापी पिछले माह की मासिक बिलों के साथ संलग्न करनी होगी ।

4.5.0 *dk;kn k dh lpuk ,o lfonk bdjkjukek*

4.5.1 निविदाकर्ता जिसकी दर को स्वीकार किया जा चुका है उसे कम्पनी द्वारा कार्य प्रदान किये जाने की सूचना डाक या फेक्स द्वारा दी जायेगी एवं की संपुष्टि रजिस्टर्ड पत्र अथवा स्पीड पोस्ट से दी जायेगी । इस पत्र (जिसे के बाद में एवं संविदा की भार्तों में "सहमति पत्र" कहा जायेगा) में ठेके की दर **(contract rate)** का उल्लेख किया जायेगा । इस दर पर कम्पनी द्वारा ठेकेदार को संविदा में उल्लेखित कार्य के निष्पादन एवं उसके द्वारा पूर्णरुप से निष्पादित किये गये कार्य के एवज में भुगतान किया जायेगा।

4.5.2 कार्य प्रदान करने की अधिसूचना ही संविदा की संरचना करेगा। निम्नवर्णित धारा के अनुसार कार्य का निष्पादन, जो कि सहमति पत्र (एल.ओ.ए.) के जारी होने के साथ आरम्भ हुआ था , इकरारनामा की औपचारिकता निर्धारित करेगी।

4.5.3 सफल निविदाकर्ता को कम्पनी के साथ,निविदा स्वीकृति की सूचना के 30 दिन के भीतर इंडियन स्टेम्प एक्ट के तहत,उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर एक इकरारनामा सम्पन्न करना होगा । नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प एवं इकरारनामा का समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा ।

4.6.0 *vuqcU/k lekIr dju ckcr %&*

4.6.1 इस अनुबन्ध में वर्णित किसी शर्त अथवा प्रतिबन्ध का पालन करने में असमर्थ रहने पर कंपनी नोटिस द्वारा सूचित करेगी कि वह इसे 15 दिवस के भीतर भीतर ठीक कर दें। इस समय सीमा में अगर निविदाकर्ता उपरोक्त शर्तों या आव यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें तथा कंपनी को इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का हर्जाना निविदाकर्त्ता की सिक्युरिटी डिपोजिट जब्त करके व/अथवा ठेकेदार को किये जाने वाले अन्य भुगतान में से वसूल करें।

4.6.2 यदि प्रभारी अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना लगातार 7 दिन कार्य बंद रहता है तो कंपनी को यह पूरा पूरा अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें।

4.6.3 कंपनी को यह पूरा अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए, 30 दिन की पूर्व सूचना (नोटिस) पर इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें। निविदाकर्ता ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावे या हर्जाने का हकदार नहीं होगा।

4.6.4 राज्य सरकार/सरकारी विभाग या किसी न्यायिक आदेश की अनुपालना में यदि प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से यदि कार्य नहीं किया जाता है अथवा खनन प्रक्रिया या उससे जुड़े कार्य बंद करने पड़ते है तथा उसी क्रम में यदि कंपनी को बिना पूर्व सूचना के यह अनुबन्ध समाप्त करना पड़ता है तो निविदाकर्त्ता ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावे या हर्जाने का हकदार नहीं होगा।

4.6.5 *U;k; {k= :* इस अनुबंध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जैसलमेर न्यायालय ही रहेगा।

4.6.6 *vihy* **:** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत यदि कोई भी बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला उपापन संस्थान के किसी भी निर्णय, कार्यवाही या लोप, जैसी भी स्थिति हो, से किसी भी रूप में असंतुश्ट या खफा है, तो वह निर्धारित फीस जमा करवाकर, दस दिन के भीतर निर्धारित प्रथम या द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी को उक्त निर्णय, कार्यवाही या लोप का स्पश्ट उल्लेख करते हुए फार्म नं. 1 (देखें नियम 83) – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियिम– 2012 की मेमोरेण्डम ऑफ अपील के तहत अपील कर सकता है।

4.6.7 *lc yV* **(Sub letting):** निविदाकर्ता कार्य को पूर्ण या आंशिक रुप से किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा । इस शर्त की अवहेलना करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा अनुबन्ध को समाप्त कर अनुबन्धकर्ता की अमानत राशि को जब्त किया जा सकेगा ।

egkizcU/kd
एस.बी.यू. व पी.सी. लाईम स्टोन,

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए।

d l	fooj.k	fufonkdrk Lo;a Hkjs
01	वांछित धरोहर रा ि ा का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं व रा ि ा	बैंक का विवरण.. डिमाण्ड ड्राफ्ट सं .... रा ि ा........................... दिनांक ....
02	निविदाकर्ता का नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन नं.	नाम... पता... ....
03	क्या वर्तमान में आप इस तरह का कार्य कर रहे है या किया हुआ है यदि हॉ तो पूर्ण विवरण देवें ।	
04	पेनकार्ड नम्बर की फोटो प्रति	
05	वस्तु एवं सर्विस कर नम्बर की फोटो प्रति	
06	पी.एफ.खाता नम्बर की फोटो प्रति या रु.50.00 का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें। ¼Annexure-I½	
07	निविदाकर्ता का कुल कारोबार (कम से कम रु. 5.00 लाख प्रतिवर्ष कारोबार किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।)	
	वर्ष 2014–15,	रु..
	वर्ष 2015–16	रु...
	वर्ष 2016–17	रु...

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

दिनांक :
संलग्न :–

Bank Details of Tenderer for RTGS/NEFT/Online refund of EMD

Sl.No.	Description	Details
1	Name of Tenderer	
2	e-mail ID	
3	Mobile no.(for SMS)	
3	Bank Account No.	
4	Banker details: a) Name b) Branch No. c) Address	
5	Type of A/c : Saving / Current / CC/ any other	
6	IFSC code	

Name & Signature of Tenderer
with seal

jktLFkku LVsV ekbUl ,.M feujYl fyfeVsM

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8] oLV iVsy uxj] lfdZV gkml jksM] tks/kiqj

BOQ ik#i ifjf'k"V 3

dk;Z dh nj (Price Bid)

¼fufonkdrkZ viuh iLrkfor nj ikVZy ij miyC/k fufonk ds BOQ ik#i esa gh Hkjs½

(to be submitted online only in the prescribed format given on the website www.eproc.rajasthan.gov.in)

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगाः–

कार्य का विवरण: सानु लाईमस्टोन पर वृक्षारोपण एवं अन्य विभिन्न कार्यो हेतु पर्याप्त संख्या में अकुशल श्रमिक लगाकर संबंधित कार्य करवाना।

dk;Z dk fooj.k	dk;Z djus dh nj
वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्य को संपादित कराने; पानी का संचालन व केन्टीन टैंक (सिन्टेक्स) व ओवर हेड वाटर टैंक (वे ब्रिज नं. 2 के पास) की सफाई एवं लीकेज कार्य तथा तुला यंत्रों के प्लेट फार्म के उपर व नीचे की सफाई कराने हेतु पर्याप्त सख्या मे श्रमिक लगाकर कार्य सम्पन्न कराना ।	दर प्रति श्रमिक प्रति दिन (वस्तु एवं सेवा कर की दर रहित) (अंकों में ...रूपये (ाब्दों ....रूपये. . njs ikVZy ij miyC/k fufonk ds BOQ ik#i esa gh Hkjs

ukV(& निविदा जमा करने की तिथि के दिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अकु ाल श्रमिकों को देय दैनिक न्युनतम मजदूरी की प्रचलित दर रु. ....।

1. निविदाकर्ता द्वारा भरी गई दर स्थायी एवं नियत होगी एवं यह अनुबंध अवधि के दौरान दर अपरिवर्तनीय होगी । परन्तु भारत सरकार द्वारा अकु ाल श्रमिक की दर परिवर्तित होने पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 3.14 के अनुसार दर परिवर्तनीय होगी ।
2. प्रत्येक कॉलम में दरें शब्दों एंव अकों में होनी चाहिए। शब्दों एंव अकों में लिखी गई दरों में अन्तर होने पर न्यूनतम दर ही मान्य होगी ।
3. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक निविदा प्रपत्र के पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर..................................

निविदाकर्ता का नाम मोहर...

दिनांक ....

Annexure-I

AFFIDAVIT

(TO BE TYPED ON THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I …….. S/o …….. aged ……. Years …… Resident of ……On behalf of the tenderer i.e. M/s ……

Hereby take oath and state as under:

1. That I/We have submitted a tender for...…….
2. That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.
3. That the provisions of the EPF & MP Act are not applicable on me/us (i.e.the above tenderer / contractor).
4. That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of the EPF & MP Act, then I/we will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioners.

Deponent
(Authorised signatory)

Verification

I, the above mentioned deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, and no part of it is wrong and that nothing material has been concealed. So help me god.

Deponent
(Authorised signatory)

Dated: ----------

Place: ------

(Authorised Signatory)
Name of the Designation/ Relationship of the authorised Signatory with the tenderer

ANNEXURE-A

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a contractor in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/contractor for the contract.

ANNEXURE-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted For procurement in response to Notice Inviting Bids I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date **Signature of bidder**

Place **Name:**

Designation:

Address:

Annexure-C

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Mines & Petroleum,
Secretariat,
Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Finance,
Secretariat,
Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ……. of …….
Before the …….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal :
   …….
   ……
   ……..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: …….
   ……..
   Place ……..
   Date ……..
   Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.